भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. ४९

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"टर्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी समाप्त करना"

89. **श्री दयानिधि मारन**:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेषत: 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज लेने वालों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि टर्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर जीएसटी कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो इसका समग्र जीएसटी राजस्व पर क्या अनुमानित प्रभाव पड़ेगा और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि बीमा कंपनियां जीएसटी में होने वाली कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देगी और उनके प्रीमियम में वृद्धि नहीं करेगी;

(घ) क्या सरकार ने कोई तंत्र प्रस्तावित किया है या भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को प्रीमियम दरों की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां जीएसटी कटौती के अनुरूप ही कार्य करें और संशोधन की स्थिति में उपभोक्ताओं को लाभ दें; और

(ङ) क्या स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कटौती स्वास्थ्य सेवा को अधिक न्याय संगत बनाने की दिशा में एक कदम होगा और क्या कोई अतिरिक्त उपाय इसमें सहायक हो सकते हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

''टर्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी समाप्त करना" के बारे में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ श्री दयानिधि मारन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 89 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सभी सेवाओं (स्वास्थ्य और जीवन बीमा सहित) पर जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं।

09 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी का मुद्दा जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया। जीओएम की पहली बैठक 19 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों के मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ख): राजस्व की हानि जीएसटी दर में कटौती पर निर्भर करती है। कटौती दर की कोई सिफ़ारिश न होने पर समग्र जीएसटी राजस्व पर प्रभाव के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग): चूंकि जीएसटी दरें बीमा प्रीमियम के अतिरिक्त लागू होती हैं, इसलिए यदि जीएसटी दर कम कर दी जाती है तो इससे पॉलिसीधारक को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है, विशेषकर विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिस्पर्धी बाजार में, क्योंकि बीमा की लागत उस सीमा तक कम हो जाएगी।

(घ): बीमा उत्पादों पर विनियमों और उन पर जारी मुख्य परिपत्रों के रूप में एक प्रभावी विनियामक ढांचा बीमा उत्पादों की निगरानी के लिए मौजूद है, जिसमें बीमा उत्पादों को डिजाइन करना और बीमा प्रीमियम निर्धारित करना शामिल है। बीमा प्रीमियम के अलावा लागू दरों पर जीएसटी अलग से वसूला जाता है।

(ङ): जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों की समीक्षा का मामला मंत्री समूह के समक्ष लंबित है। यदि जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी दर में कमी की सिफारिश की जाती है, तो जीएसटी में कमी के कारण पॉलिसीधारक को बीमा की लागत में कमी आने की उम्मीद है।

*****